

हरियाणा सरकार
खेल विभाग
नागरिक अधिकार पत्र 2024-25

क्र. सं.	सेवा का नाम	पात्रता	क्या करें ?	आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि	निपटारे की समय-सीमा
1	खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र।	खेल ग्रेडेशन पालिसी के अनुसार।	प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है। इसके उपरान्त सम्बंधि डिविजन के उपनिदेशक खेल द्वारा खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनाये जाते है।	किसी भी कार्यालय दिवस को।	30 दिन
2	खिलाडियों को नकद ईनाम (कैश अवार्ड)	सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार।	खिलाडी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र विभाग के ऑन लाईन पोर्टल CAMMS (Cash Awards Management System) (URL- http://haryanakhelcashaward.in) के माध्यम से संबंधित जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है तत्पश्चात जिला खेल अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय भेजता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।

3	विद्यार्थियों को स्कोलरशिप	सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार।	खिलाड़ी द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में आवेदन पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है तत्पश्चात जिला खेल अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय भेजता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।
4	भीम अवार्ड	सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार	खिलाड़ी द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है तत्पश्चात जिला खेल अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय भेजता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।
5	जॉब पालिसी	खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी प्रदान करने के सम्बंध में।	खिलाड़ी द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में आवेदन पत्र निदेशालय में जमा करवाना होता है। इसके उपरांत सम्बंधित संघ से सत्यापित करवाकर विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत मामला सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	45 दिन
6	खेल नर्सरी योजना	8 से 14 वर्ष 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लड़के / लड़कियां	स्कूल / संस्था द्वारा निर्धारित विभागीय पोर्टल पर खिलाड़ी का डाटा एंव खेल मैदान की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपलोड करने उपरांत विभाग द्वारा पत्र संस्थाओं को नर्सरी अलाट की जाती है।	विभाग द्वारा समाचार पत्रों में आवेदन प्राप्ति की तिथि निर्धारित की जाती है।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।

7	खेल स्टेडियम	खेल स्टेडियम के निर्माण के सम्बंध में।	विभाग के दिशा निर्देश अनुसार ग्राम पंचायती द्वारा छ: एकड़ या इससे अधिक जमीन निशुल्क उपलब्ध करवाने पर सम्बंधित प्रशासन से फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत उसका एस्टीमेट तैयार करवाकर सरकार को मामला स्वीकृती हेतु भेजा जाता है।	ग्राम पंचायती द्वारा सम्बंधित जिला खेल कार्यालय में स्टेडियम निर्माण के आवेदन पर कार्यवाई अमल में लाई जाती है।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।
8	प्रशिक्षण	प्रशिक्षको द्वारा खिलाडियो को प्रशिक्षण	विभाग के दिशा निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षको द्वारा खिलाडियो को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण प्राप्त खिलाडियो को खेल नर्सरी की सुविधा तथा निशुल्क खेल सामान की सुविधा प्रदान की जाती है।	विभाग द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण देने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जाता है।	प्रत्येक वर्ष

E. Kishor Kumar, Officer
 Dept. of Sports,
 Meerut, Panohkulp